

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम दरभंगा।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं० 99 दिनांक 04.03.2014 तथा विभागीय आवंटनादेश सं० 126 दिनांक 04.03.2014 एवं विभागीय राज्यादेश सं० 25 दिनांक 08.08.2014 तथा विभागीय आवंटनादेश सं० 35 दिनांक 08.08.2014 द्वारा नगर निगम दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत तीन योजनाओं हेतु कुल ₹ 567.424 लाख (पाँच करोड़ सरसठ लाख बैयालीस हजार चार सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल ₹ 567.424 लाख (पाँच करोड़ सरसठ लाख बैयालीस हजार चार सौ रु०) मात्र आवंटित किया गया था।

पुनः नगर आयुक्त, नगर निगम दरभंगा के पत्रांक-1990 दिनांक-27.09.2014 (अधीक्षण अभियंता को संबोधित) द्वारा किये गये अनुरोध एवं मुख्य अभियंता, बुडा द्वारा दिए गए तकनीकी अनुमोदन के आलोक में उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)						
क्र०	नगर निकायों का नाम	योजना का नाम	पूर्व में दी गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि	तकनीकी अनुमोदन की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम दरभंगा	दोनार रेलवे गुमटी से राष्ट्रीय ज्ञान निकेतन भवन एवं पाण्डेय कॉम्प्लेक्स तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	249.21400	344.735	344.735	95.521
2		राष्ट्रीय ज्ञान निकेतन भवन एवं पाण्डेय कॉम्प्लेक्स से छिपलिया स्थित कोसी प्रोजेक्ट के द्वार तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	162.01000	237.364	237.364	75.354
3		छिपलिया स्थित कोसी प्रोजेक्ट के द्वार के गेट से कमला नदी टिनही पुल तक टेपर्ड ब्रिक पिचिंग खुला नाला का निर्माण।	156.20000	224.715	224.715	68.515
<b>कुल योग</b>			<b>567.42400</b>	<b>806.814</b>	<b>806.814</b>	<b>239.39</b>

2. उक्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिया जाता है कि पूर्व में आवंटित राशि से कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाय। अवशेष राशि बाद में आवंटित की जाएगी।

3. योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं० 99 दिनांक 04.03.2014 तथा विभागीय आवंटनादेश सं० 126 दिनांक 04.03.2014 एवं विभागीय राज्यादेश सं० 25 दिनांक 08.08.2014 तथा विभागीय आवंटनादेश सं० 35 दिनांक 08.08.2014 में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।